न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 557/18–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

बिमल धान – विक्रेता

अनामिका धान – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

07.08.19

आदेश

आवेदक बिमल धान पिता स्व0 इलियस धान ग्राम–सिरूम टोली तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने अनामिका धान पिता बिमल धान ग्राम–सिरूम टोली तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी, प्राकृत अभिभावक सराह कन्डुलना ग्राम केयोंदटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
तोरपा	53	166	3460	0.08
			3661	0.12½
				0.20½

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0470911294 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 654 दिनांक 26.07.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं0– 370/346 दिनांक 12.01.2001 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम सुधु तेली तेली वगैरह है। पंजी II के अनुसार एमलेन धान के नाम भूमि का रकवा 0.20½ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 5.75½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–2019 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 68401.00(अडसठ हजार चार सौ एक)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 5.55 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण बिमल धान पिता स्व0 इलियस धान को अनामिका धान पिता बिमल धान प्राकृत अभिभावक सराह कन्डुलना के साथ ग्राम तोरपा के खाता सं0 166 खेसरा संख्या 3460,3661 का कुल रकबा 0.20½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 68401.00(अडसठ हजार चार सौ एक)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।